न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 79 / 2016

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,अजमेर

.........प्रार्थी

बनाम

1. श्री चन्दीराम सम्भवानी पुत्र श्री गोविन्दराम सम्भवानी, मैसर्स सम्भवानी डिस्ट्रीब्यूटर्स, लक्ष्मी नारायण मन्दिर वाली गली, हाथीभाटा, अजमेर।
2. मैसर्स सम्भवानी डिस्ट्रीब्यूटर्स, लक्ष्मी नारायण मन्दिर वाली गली, हाथीभाटा, अजमेर।
3. Virendra kumar Bhansali S/O Shanti lal, M/S Shanti lal Ashok kumar & Company, F-51, Bicchwal Industrial Area, Bikaner, Rajasthan
4. M/S Shanti lal Ashok kumar & Company, F-51, Bicchwal Industrial Area, Bikaner, Rajasthan

........अप्रार्थीगण

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा
26 की उप धारा (2) (II) एवं धारा 52 के तहत

उपस्थित : श्री नरेश कुमार अरोड़ा वकील अप्रार्थीगण की ओर से।

–: आदेश :–

दिनांक– 27.07.2016

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक प.1(2) कार्मिक / क–4 / 08 दिंनाक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर ने अप्रार्थी के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने मिसब्राण्ड रसगुल्ला का विकय करके खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की 26 की उपधारा 2 (11) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 मे निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन गजट नोटिफिकेशन की प्रति कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति माल खरीद, बिल असल, फार्म नम्बर 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद की अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

Scanned by CamScanner

की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 21.10.2015 को 03.30 पी.एम खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स सम्भवानी डिस्ट्रीब्यूटर्स, लक्ष्मी नारायण मन्दिर वाली गली, हाथीभाटा, अजमेर पर पहूँचे श्री चन्दीराम सम्भवानी पुत्र श्री गोविन्दराम सम्भवानी मौके पर उपस्थित मिले जो आम जनता को रसगुल्ला, नमकीन एवं अन्य खाद्य पदार्थ का विक्रय कर रहे थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के दौरान रसगुल्ला में मिलावट का शक होने पर उनमे से नमूना जॉच हेतु 430–430 ग्राम रसगुल्ला के चार डिब्बे वास्ते नमूना जॉच हेतु 500/– रूपयें श्री चन्दीराम सम्भवानी को नगद देकर गवाह श्री रमेश चन्द सैनी तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के समक्ष क्रय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री चन्दीराम सम्भवानी को सम्भलाकर रसीद प्राप्त करने खरीदशुदा रसगुल्ला के प्रत्येक पैकिट को नियमानुसार अलग–अलग भूरे कागज में लपेट कर प्रत्येक पैकिट पर लेबल पर डीओ के कोड क्रमांक ए/1173 दर्ज कर प्रत्येक लेबल पर हस्ताक्षर करते हुए चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर कराकर दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बंद कर चपडी सें सील मोहर कर, खाद्य विश्लेषक, अजमेर को शेष 2 सील बंद नमूना भाग फार्म नम्बर 6 की दो प्रति आउटर कवर मे सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को भिजवाये जाने का उल्लेख किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2015/11889 दिनांक 02.12.2015 अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस. 771/एक्ट/2015/753 दिनांक 02.11.2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच विक्रय किया गया रसगुल्ला मिसब्राण्ड होना पाया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 15.06.2016 को प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 15.06.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री चन्दीराम सम्भवानी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 27.07.2016 को कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

नियत पेशी दिनांक 27.07.2016 को अप्रार्थीगण जरिये वकील उपस्थित रहे उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी को सुना गया। अभियुक्त द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं परिवाद मे वर्णित गवाहान को साक्ष्य हेतु बुलाना उचित नही समझा गया। परिवाद मे वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजो खाद्य विश्लेषक, अजमेर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर विक्रय किया गया मिसब्राण्ड रसगुल्ला पाया गया, जिसके लिए अभियुक्त दोषी प्रतीत होता है।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

Scanned by CamScanner

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण श्री चन्दीराम सम्भवानी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (11) के तहत मिसब्राण्ड पदार्थ बेचने का दोषी हैं। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 में मिसब्राण्ड पदार्थ पाये जाने पर शास्ती आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थीगण अभियुक्त श्री चन्दीराम सम्भवानी व अन्य को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (11) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण अभियुक्त श्री चन्दीराम सम्भवानी व विरेन्द्र कुमार भंसाली प्रत्येक पर पृथक–पृथक राशि रूपये 5000–5000/– कुल रू. 10,000/– (अक्षरे दस हजार रूपयें मात्र) शास्ती आरोपित की जाती है। अभियुक्त उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 27.07.2016 के एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 27.07.2016 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

कमांक :सरिस्ता/अपर/2016/3524-27 दिनांक : 15.9.16

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।

2– अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अजमेर।

3– श्री चन्दीराम सम्भवानी पुत्र श्री गोविन्दराम सम्भवानी, मैसर्स सम्भवानी डिस्ट्रीब्यूटर्स, लक्ष्मी नारायण मन्दिर वाली गली, हाथीभाटा, अजमेर।

4– Virendra kumar Bhansali S/O Shanti lal, M/S Shanti lal Ashok kumar & Company, F-51, Bicchwal Industrial Area, Bikaner, Rajasthan

(किशोर कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

Scanned by CamScanner